संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4734 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2014

तत्काल/महत्वपूर्ण/समय–सीमा

प्रति,

1. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
4. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
6. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
7. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
8. **अध्यक्ष,** समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
9. **प्रबंध संचालक,** मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
10. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषयः– **प्रधान मंत्री जन धन योजना (सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम) का क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/3845 दि. 11.08.2014, क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/3973 दि. 21.08.2014, क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4166 दि. 06.09.2014 एवं क्र.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4595 दि. 21.10.2014।

=0=

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 155वीं बैठक सम्पन्न हुई जिसमें योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में इस योजना अंतर्गत शतप्रतिशत कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना है। इसी संदर्भ में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में योजना अंतर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 25–10–2014 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित हैः–

1. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जिलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आने वाले जिलों को आंकलित किया जायेगा। आंकलन हेतु **जिले के समस्त एस0एस0ए0 एवं वार्ड में शतप्रतिशत** बैंक मित्र/बी0सी0ए0 की नियुक्ति, उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के परिवारों का शतप्रतिशत सर्वे पूर्ण किया जाकर बगैर बैंक खाते वाले परिवारों को चिन्हित किया जाना, चिन्हित परिवारों के बैंक खाते खोले जाने तक का कार्य पूर्ण करने वाले जिले को श्रेणीकृत किया जायेगा। उक्त आंकलन प्रत्येक पखवाड़े के आधार पर दिनांक 15 नवम्बर 2014, 30 नवम्बर 2014, 15 दिसम्बर 2014 एवं 31 दिसम्बर 2014 को किया जायेगा। आंकलन उपरान्त **माननीय मुख्यमंत्रीजी के करकमलों से जिला कलेक्टर एवं अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक का अभिनन्दन** किया जायेगा।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत सभी का भी राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आने वाले बैंकों का ए, बी, सी एवं डी श्रेणियों में वर्गीकरण करते हुए आंकलित किया जायेगा। ए श्रेणी के बैंक में ऐसे बैंक जिसे कुल 100 एस0एस0ए0 एवं 100 वार्ड आवंटित हो, बी श्रेणी के बैंक में ऐसे बैंक जिसे कुल 101 से 500 तक एस0एस0ए0 एवं 101 से 300 तक वार्ड आवंटित हो, सी श्रेणी के बैंक में ऐसे बैंक जिसे कुल 501 से 1000 तक एस0एस0ए0 एवं 301 से 500 तक वार्ड आवंटित हो तथा डी श्रेणी के बैंक में ऐसे बैंक जिसे कुल 1000 से अधिक एस0एस0ए0 एवं 500 से अधिक वार्ड आवंटित हो।

उपरोक्त चारों श्रेणी में बैंकों के आंकलन हेतु **प्रदेश स्तर पर बैंक को आवंटित समस्त एस0एस0ए0 एवं वार्ड में शतप्रतिशत** बैंक मित्र/बी0सी0ए0 की नियुक्ति, उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के परिवारों का शतप्रतिशत सर्वे पूर्ण किया जाकर बगैर बैंक खाते वाले परिवारों को चिन्हित किया जाना, चिन्हित परिवारों के बैंक खाते खोले जाने तक का कार्य पूर्ण करने वाली बैंक को श्रेणीकृत किया जायेगा। उक्त आंकलन प्रत्येक पखवाड़े के आधार पर दिनांक 15 नवम्बर 2014, 30 नवम्बर 2014, 15 दिसम्बर 2014 एवं 31 दिसम्बर 2014 को किया जायेगा। आंकलन उपरान्त **माननीय मुख्यमंत्रीजी के करकमलों से बैंक के आंचलिक प्रबंधक का अभिनन्दन** किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार बैंक एवं जिले के श्रेणीकरण हेतु पूर्व में जारी पत्र दिनांक 21—10—2014 के साथ संलग्न प्रपत्र एक एवं दो में जानकारी निर्धारित समयावधि में भेजी जाना सुनिश्चित की जायेः—

दिनांक 15—11—2014 तक की जानकारी भेजने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 18—11—2014।
दिनांक 30—11—2014 तक की जानकारी भेजने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 04—12—2014।
दिनांक 15—12—2014 तक की जानकारी भेजने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 18—11—2014।
दिनांक 31—12—2014 तक की जानकारी भेजने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 04—01—2015।

उपरोक्त तिथि तक प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले/बैंक का वर्गीकरण कर दिया जायेगा। जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के कारण एक बार निर्धारित किये गये वर्गीकरण में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जायेगा।

4. सभी जिला कलेक्टर से यह भी अपेक्षा है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में बैंकों द्वारा नियुक्त बी0सी0ए0/बैंक मित्र पर मैदानी स्तर पर सत्यापन करवाया जाये जिससे कि ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन का वास्तविक आंकलन किया जा सके।

5. उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप में यह प्रमाणित करना होगा कि जिले में उक्तानुसार समस्त निर्धारित गतिविधियों को पूर्ण कर लिया गया है। इसमें दिनांक का विशेष महत्व होगा।

इसी प्रकार राज्य स्तरीय बैंक के प्रकरण में बैंक के आंचलिक प्रबंधक द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि बैंक द्वारा सम्पूर्ण राज्य में उन्हें आवंटित एस0एस0ए0 एवं वार्ड में उक्तानुसार समस्त निर्धारित गतिविधियों को पूर्ण कर लिया गया है। इसमें दिनांक का विशेष महत्व होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशानुसार इस योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में करते हुए मध्य प्रदेश राज्य देश में सर्वप्रथम राज्य बन सके।

संलग्नः—उक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 4735 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
7. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

FIELD VERIFICATION FORM FOR BANK MITRA

Name and Address of BC (for SSA) / Branch(for Ward) /Additional BC :

Name of Bank Mitr(Fixed Location)/ Branch Name/ Additional BC deployed by Branch :

	YES	NO
1 Bank Mitra is provided with :		
(a) Board (having PMJDY Logo & Bank Name)	☐	☐
(b) Uniform	☐	☐
(c) Cap	☐	☐
2 Bank Mitra is having device capable of:		
(a) E-KYC Account Opening	☐	☐
(b) Inter Operable withdrwal Txn with Rupay Card	☐	☐
(c) Inter Operable withdrwal Txn through AEPS	☐	☐
(d) Authenticating Aadhaar Seeding through Verhoeff Algorithm	☐	☐
3 Has Training been imparted to Bank Mitra on :		
(a) E-KYC Account Opening	☐	☐
(b) Inter Operable withdrwal Txn with Rupay Card	☐	☐
(c) Inter Operable withdrwal Txn through AEPS	☐	☐
(d) Aadhaar Seeding Authentication Of existing a/c holder	☐	☐

(e) Any other (Pls specify)

____

____

4 Remuneration given to BC :

Upto Rs.2500 to Rs.3500	☐
> Rs.3500 to Rs.5000	☐
More than Rs.5000	☐

4 Other Information related to Bank Mitra eg No. Of accounts opened,initial deposit acquired etc (if Bank requires , Optional):

____

____

____

____

Date of Verification :

Checking of Verification done by Senior Official
Signature :
Name and designation :

Verification conducted by
Signature :
Name and designation :